न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 70/2022 (GCMS 2022/)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ़, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **जगतार सिंह** पुत्र इन्द्र सिंह
2. **रेशम सिंह** पुत्र इन्द्र सिंह
3. **दिलावर सिंह** पुत्र आत्म सिंह
4. **मोहन सिंह** पुत्र आत्म सिंह
   जाति जटसिख समस्त निवासीगण 5 वाई, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसील– श्रीगंगानगर,** जिला श्रीगंगानगर (राज.)

20.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की नियुक्ति उपरान्त ग्राम 5 वाई, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नं. 2 के बीघा नं. 1 से 4, 7, 8, 10, 13 व 14 में से भूमि अवाप्ति हेतु **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई,** जिसके बाद धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अवाप्त भूमि आत्यन्तिक रूप से समस्त भारों से मुक्त होकर प्रार्थी भा. रा.रा.प्रा. में निहित हो गई। **उनका आगे यह भी कथन है कि** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस पर अवस्थित संरचनाओं/परिसंपत्तियों यथा पेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पौधों आदि के मुआवजे का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, अर्थात धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात नियम विरूद्ध जाकर अनैतिक उद्धेश्य की पूर्ति हेतु अवाप्त भूमि पर कोई सरंचना/परिसंपत्ति यथा पेड़ पौधों आदि स्थापित किये जाते है, तो उनके मुआवजे का नियमानुसार निर्धारण नही किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा (इ) में दी गई भूमि की परिभाषा के अनुसार भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजे अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजे आती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि MORTH भारत सरकार द्वारा अधिनियम, 1956 की अनुपालना में जारी A Manual od Guideline on land Acquisition for National Highways under The National Highways Act, 1956 में स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि एवं उक्त भूमि पर अवस्थित किसी पेड़, सरंचना/परिसंपत्ति इत्यादि का मुआवजा निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना तारीख की स्थिति के अनुसार किया जायेगा तथा धारा की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नही होगा। नये भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार भी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि पर किसी प्रकार का विल्लंगम सर्जित नही किया जा सकता। इसलिये धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित पये पेड़—पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 को भूमि की प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 31.03.2021 को पारित कर दिया गया, इसलिये अवाप्त भूमि के मुआवजे के अनुसार ही पेड़—पौधो के मुआवजे

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

का निर्धारण भी धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 की स्थिति अनुसार मौजूद पेड़—पौधों की आयु, प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता, स्थिति आदि मानकों से सबंधित ठोस साक्ष्य लेकर उनको ध्यान में रखते हुए किया जानाा न्यायोचित व विधि अनुसार था, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त के संबंध में कुछ भी नही किया गया, इसलिये **सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेड़—पौधों का पारित अवार्ड दिनांक 22.04.2022 विधि अनुसार नही होने से अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त किये जाने योग्य है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि यह प्रकरण खजूर के पौधों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है व किन्नू के पौधों के संबंध में पृथक से प्रकरण संख्या 26/2023 प्रस्तुत किया है। खजूर के पेड़—पौधों के संबंध में पारित अवार्ड दिनांक 22.04.2022 इसलिये भी निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है कि अप्रार्थी खातेदार ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की नीयत से धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्तधीन भूमि पर बाहर से लाकर नये पेड़—पौधें रोपित कर दिये गये। सहायक निदेशन उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अप्रार्थी खातेदार की अवाप्त भूमि पर लगे हुए पेड–पौधों के अलावा भी ऐसे पेड़—पौधों को मूल्यांकन रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया, जो धारा 3ए अधिसूचना के पश्चात् लगाये गये थे तथा अवाप्ति क्षेत्र से बाहर स्थित थे, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़—पौधों की संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र आदि के संबंध मे समुचित साक्ष्य प्राप्त कर [illegible] सकती है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने धारा 3ए की अधिसूचना की तत्समय की [illegible] स्थिति की बिना जांच किये ही गम्भीर त्रुटि कर आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया, जो संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान ने धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नही कर, मौका निरीक्षण की दिनांक 02.07.2021 की मौकास्थिति अनुसार 19 खजूर के पौधों की आयु 5 वर्ष मानी जाकर **मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जबकि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार प्रश्नगत खजूर के 19 पौधों की आयु लगभग 02 वर्ष से कम होना साबित होते है। ऐसी दशा मे अप्रार्थी खातेदार के 19 खजूर के पौधे की आयु 2 वर्ष से कम होने के कारण आधार मूल्य के अन्तर्गत आते है, जिनका भी अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।** क्योंकि अप्रार्थी खातेदार द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित 45 मीटर के संरेखण (Alignment) में धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अनुचित एवं अवैध तरीके से अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में नये खजूर के पौधे/वृक्ष रोपित किये गये है, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़–पौधों की आयु व संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र, सिंचाई विभाग आदि से प्रश्नगत पौधों के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है। इस प्रकार अप्रार्थी खातेदार धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित पौधों का कोई मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी नही है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी जाँच किये धारा 3ए अधिसूचना के समय की मौकास्थिति के विरूद्ध तैयार मूल्याकंन रिपोर्ट के अनुसार उक्त खजूर के 19 पौधों की सम्पूर्ण आयु के हिसाब से नियम [illegible] मुआवजा राशि की गणना कर दिनांक 22.04.2022 को पारित करने में [illegible] की है, जिसे सुधारा जाकर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि रा[illegible] स्तरीय गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि खजूर की फलत शुरू होने की आयु 4 वर्ष है एवं कुल

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

फलत आयु शष्य क्रियाओं, परागण आदि को ध्यान में रखते हुए व्यवसाकिय रूप से 40 से 50 वर्ष तक की उत्पादन लिया जा सकता है, क्योंकि इससे अधिक आयु के पौधों की ऊंचाई 100 फिट से भी होने पर व्यवसायिक रूप से शष्य क्रियायें करना अव्यवसायिक हो जाता है तथा प्रति पौधा उत्पादन भी किस्म एवं उचित शष्य क्रियाओं के आधार पर प्रभावित होता है, लेकिन सक्षम प्रधाकारी ने उक्त रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत खजूर के पौधों की आयु 70 वर्ष मानकर मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिया गया, जो कि सरासर गलत है, जिसे सुधारे जाने की आवश्यकता है। अप्रथार्थी खातेदार द्वारा धारा 3ए की अधिसूचना के पश्चात अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में प्रश्नगत पौधे रोपित किये है, जिनका अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए आलौच्य अवार्ड संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 के अनुसार सहायक निदेशक उद्यान द्वारा खजूर के 19 पौधों की आयु 5 वर्ष तथा किन्नू के 12 पौधों की आयु 10 वर्ष मानकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जबकि उक्त किन्नू व खजूर के पौधे साथ—साथ उद्यान विभाग के मापदण्डों के विरूद्ध है, जिनका सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई मुआवजे का अवार्ड विधि अनुसार पारित नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी जांच के हू—ब—हू मूल्यांकन रिपोर्ट को आधार मानकर पेड़ पौधों का संरचना अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को पारित कर दिया गया, जो कि नियम विरूद्ध व उद्यान विभाग के मापदण्डों व [illegible] कमेटी, जिसमें स्वयं सहायक निदेशक उद्यान भी शामिल थी [illegible] होने के कारण निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड श्रीगंगानगर का पत्र क्रमांकः—एफ/2022—23/387 दिनांक 04.05.2022 में

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

स्पष्ट अंकित है कि उद्यान विभाग के निर्देशानुसार किन्नू व खजूर के उचित विन्यास पर रोपित किये गये पौधों को ही बाग के अन्तर्गत सम्मिलित कर मुआवजा राशि की गणना किया जाना युक्ति संगत है। अर्थात ऐसे पौधें जो उचित विन्यास पर नहीं है उनको बाग के अन्तर्गत नहीं माना जाकर मुआवजा निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर जांच करने आयी राज्य स्तरीय गठित कमेटी, जिसमें स्वयं सहायक निदेशक उद्यान भी शामिल थी, ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि कुछ कृषकों ने किन्नू के पौधों के मध्य खजूर के पौधें रोपित किये गये है, जो तकनीकी एवं व्यवसायिक रूप से उपर्युक्त नहीं है तथा जो पौधें पास–पास में रोपित किये गये है उनसे शष्य क्रियाये करके वाणिज्य उत्पादन लिया जाना संभव नहीं है। अधिक मुआवजा प्राप्त करने की नीयत से अवाप्ति प्रक्रिया व आवश्यक लागू मापदण्डों एवं राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के विरूद्ध रोपित पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुआवजा राशि के निर्धारण में पौधों की उम्र व भाव तय करने में कोई स्पष्टता/पारदर्शिता नही है। **सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अपने मन मुताबिक पेड़–पौधो का बाजार भाव व उम्र नियम विरूद्ध तय किया है।** इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा पेड़ पौधों के संबंध में सक्षम स्तर से आवश्यक जाँच करवाकर बाजार भाव, उम्र व रोपित करने के संबंध में समुचित साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] सभी समान उत्पादन नही देते है। प्रत्येक पौधे की उत्पादन [illegible] की जाँच कर ही मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। अवाप्ति में आने वाले पौधों का भविष्य में किसी प्रकार का उत्पादन, खर्च/लागत होने की कोई संभावना ही नही होती है, इसलिये अवाप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पौधे का भविष्य के आधार पर कोई मुआवजा ही निर्धारित नही किया जाना चाहिए। अतः आलौच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान राज्य में फलदार पौधो की शेष आयु को आधार बनाकर लगभग 10 गुना अधिक राशि से मूल्यांकन किया जाता है, जो कि हस्तगत प्रकरण में भी कर दिया गया है। जबकि सामीवर्ती राज्यों में राज्यों में फलदार पौधों की शेष आयु एवं उक्त शेष आयु में होने वाली संभावित आय का एक चौथाई को ही बचत का आधार मानते हुये मुल्यांकन किया जाता है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा समुचित साक्ष्य ली जाकर मुआवजे का पुनरावलोकन कर मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित पेड़–पौधो का संरचना अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त कर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य कोई विधि सम्मत आदेश, जो श्रीमान मध्यस्थ महोदय, प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में उचित समझे पारित करने की कृपा करे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1 से 4, 7, 8, 10, 13 व 14 की भूमि अवाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नेशनल हाईवे एक्ट धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 02 [illegible] 202[illegible] को प्रकाशित की गयी थी, उसके बाद अवाप्त की कार्यवाही की गयी। 21 [illegible] का नोटिस दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एतराज पर सुनवाई कर दिनांक 31.03.2021 को भूमि का अवार्ड जारी किया और दो समाचार पत्रों में दिनांक 31.08.2021 को प्रकाशित करवाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान विभाग एवं जयपुर की टीम के साथ जाकर पौधों का मूल्यांकन किया गया है और उसके धारा 3डी के तहत अन्तिम रूप मानकर सैन्टर गवर्मेन्ट को प्रेषित की गयी, जिस पर केन्द्र सरकार ने उसका फाईनल नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया। सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भूमि तब तक भारत सरकार मे निहित नहीं होती जब तक पोजेशन लेने से पहले राशि खातेदार के नाम से जमा न करवा दी जावे। विचाराधीन प्रकरण में आज तक राशि खातेदार के नाम से जमा नहीं करवाई गई है इसलिए विल्लंगमों से मुक्त भारत सरकार में भूमि निहित नहीं मानी जा सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) का हवाला दिया है यह प्रावधान इस पर लागू नहीं है। इसमें केवल एनएच की धारा 3ए के प्रावधान ही लागू होते है, उसके अनुसार खातेदार मुआवजा पाने के अधिकारी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान विभाग द्वारा जो रिपोर्ट 2021 में दी गई है वह दिनांक 02.04.2018 को पेड़ पौधों की आयु को ध्यान में रखते हुए, मुआवजा तय किया गया है। दिनांक 22.04.2022 का अवार्ड विधिसम्मत पारित किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान, गंगानगर व जयपुर तथा संयुक्त निदेशक विभाग, गंगानगर द्वारा मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी [illegible] के पौधों की आयु 10 वर्ष बताई है और खजूर के [illegible] आयु 5 वर्ष बताई है यह दोनों रिपोर्ट दिनांक 02.04.2018 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस दिन की पौधों की आयु को देखकर इसमें रिपोट की गयी है। अप्रार्थी द्वारा कोई में अन्य पौधें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नहीं लगाये गये है न ही इससे अतिरिक्त पौधों की गणना की गयी है। प्रार्थी के खजूर व किन्नू का बाग एडमिट है लेकिन जो बाग लगा हुआ है वह वाई माईनर नहर के साथ चिपते है। नहर के ऊपर लम्बे लम्बे कीकर, शीषक सफेदे के पौधे है जिसमें खजूर के तो पोधे लम्बे थे वे तो गूगल में आ गये लेकिन किन्नू के पौधे नीचे थे वे नहर के पेड़ पौधों की ओट में गूगल में कुछ पौधे नहीं आये लेकिन मौके पर अब भी जांच की जा सकती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के 19 पौधे खजूरों के है जो 02.04.2018 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2021 में सहायक निदेशक उद्यान विभाग द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी है जिसमें एक ही जगह किन्नू व खजूर का बाग लगा हुआ है जिसमें किन्नू के पौधों की उम्र 10 खुद मानी है और खजूर की पांच वर्ष मानी है जिसमें अब प्रार्थी कहता है कि 02.04.2018 में दो वर्ष है और खजूर के पौधे के आयु 100 से 150 वर्ष होती है और वह तीन वर्ष बाद पैदावार देने लग जाता है। औसत फलदार पौधों की आयु 70 वर्ष मानी जाती है इसलिए विभाग द्वारा 70 वर्ष मानकर पांच वर्ष लैस करते हुए 65 वर्ष की पैदावार का क्लेम प्रार्थी को दिया है जबकि अगर देखें तो 100 से 150 वर्ष खजूर के पौधों की उम्र होती है जिसकी बागवानी की पुस्तिका की नकल शामिल हैं। केवल यह कहना की उसकी उम्र 2018 में 2 वर्ष थी, इसलिए उसका आधार माना जावे, यह कतई संभव नहीं हैं जबकि खजूर की उम्र 100 से 150 वर्ष होती है तो जितनी उम्र होती है, उतना की क्लेम प्राप्त करने का अप्रार्थी हकदार हैं। इसलिए 22.04.2022 को अवार्ड विधिसम्मत पारित किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उद्यान विभाग [illegible] 02.07.2021 को जो रिपोर्ट पेश की है वह दिनांक 02.04.2018 की [illegible] को ध्यान में रखते हुए की गयी है जिसमें 19 पौधों की आयु 5 वर्ष लिखी है [illegible] किन्नू के 12 पौधों की उम्र 10 वर्ष लिखी है, खजूर के पौधों की उंचाई लगभग 60–70 फुट होती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

और इसका डिस्टेन्स 20 फुट होता है और निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही पौधे लगाये गये है और इसके साथ ही किन्नू के पौधे भी लगे हुए है वह भी निर्धारित मापदण्ड में 6X3 की दूरी पर लगे है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक कृषि खण्ड श्रीगंगानगर की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, जिसकी गणना दोबारा की जावे। जब मौके पर बाग लगा हुआ है तो बाग की परिभाषा में ही प्रार्थी का उद्यान आता है। प्रार्थी द्वारा केवल प्रकरण को लम्बा करने की नियत से यह लिखित बहस पेश की है जबकि इससे पूर्व प्रार्थी ने अपनी पैटीशन में ऐसे कोई तथ्य अंकित नहीं किये थे। उस समय प्रार्थी के पास सारे दस्तावेज थे। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर राशि जमा नहीं करने के लिए यह कार्यवाही लम्बी की जा रही है। दिनांक 22.04.2022 को जो अवार्ड जारी किगया है वह विधि अनुसार है।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रार्थीगण जगतार सिंह, रेशम सिंह, दिलावर सिंह एवं मोहन सिंह की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थीगण जगतार सिंह वगै. की भूमि ग्राम 5 वाई के मुरब्बा 2 के किला नम्बर 1 से 4, 7, 8 10, 13 व [illegible] बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) [illegible] ने अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से कुल 1,99,79,[illegible] रुपये का मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

है सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड दिनांक 22.04.2022 को निरस्त करने की प्रार्थना की है और 3ए नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 के स्थिति के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में बाग होना मानते हुए जो मुआवजा राशि 1,99,79,317/– तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

मैनें, प्रार्थी के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 3ए की उपधारा (1) निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
>
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य किस प्रकार से तय होगा, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3जी (7) अवलोकनीय है जो निम्न प्रकार से है:

> (7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;

(b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;

(c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;

(d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

3(ख) "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकडी हुई चीजें भी है।

इस प्रकार भूमि की परिभाषा में भूमि के अन्तर्गत बाग भी सम्मिलित है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 02.042018 धारा 3क के तहत जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:

3A. Power to acquire land, etc.--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.

(2) Every notification under sub-section (*1*) shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा **A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956** जारी किया गया है। गाईडलाई का पेज 118 का पैरा 3.5.5(i) & पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii) भी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :

(i) Once MoRTH has notified any land for acquisition for a road project or associated facilities, **the CALA is duty-bound under law to determine the compensation for the subject land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of issue of notification nder Section 3A f the NH Act, 1956. However, creation of any such asset of change in the nature of any such asset including value addition therein on or after the issue of Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation,** As such, it is in the interest of the acquiring agency that the status of any such assets is captured, as early as possible, upon issue of the Notification, through photographs/videography so as to ensure the genuineness of determination of compensation.

3.5.6 Other factors

(ii) Notwithstanding the above scenarios, it is important to note that any improvement done in or **over the subject land after issue of Notification under Section 3A ha[s to be ig]nored.** Conversely, any damage done to the land has to [be dul]y factored while determining the compensation amount. It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/ Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or **take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton . Such development have to be ignored while determining the compensation amount.** It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on additional amount calculated @12% from the date of preliminaty Notification till the announcement of Award under sub-section(3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013. to illustrate anoter situation, a landowner may decide to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official Gaxette, with the intention of making extra money from such sale. In the process, the landowner ends up creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be duly factored by the CALA while determining the compensation amount.

उक्त वर्णित राजष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों एवं गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों के अनुसार अवाप्त की जानी वाली भूमि/बाग का धारा 3ए की उपधारा (1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जिसका मुआवजा तय किया जाना है वह भूमि/बाग आदि का अस्तित्व दिनांक 02.04.2018 को अस्तित्व में होना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थीगण जगतार सिंह की अवाप्त की गई भूमि में कोई बाग अस्तित्व में था, तो उसमें पौधों की स्थिति क्या थी? पर विचार करके ही

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुआवजा राशि तय की जानी थी। उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद किसी भी भूमि/उस पर किसी प्रकार का निर्माण/पेड पौधें आरोपित किये गये हो तो उसका कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थीगण जगतार सिंह वगै. की जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें निरीक्षण दिनांक 02.07.2021 को आधार मानकर अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि में बाग दर्शाते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है। **उक्त मौक निरीक्षण दिनांक 02.07.2021 को अवाप्त की गई में भूमि पर कुल 12 किन्नू के पौधे 10 वर्ष के तथा 19 खजूर के पौधे 5 वर्ष के पाये गए। इस प्रतिवेदन पर राजस्व पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक उद्यान, सहायक प्राध्यपक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर एवं सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर है।** जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की गई **भूमि पर गूगल अर्थ ईमेज, के आधार पर कोई बाग के रूप में कोई पौधे अस्तित्व में नहीं थे इसलिए अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर मुआवजा देय नहीं बनता है।**

आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.11( )उ.आ./नर्सरी/मुआवजा/2017–18 से लगातार/396–401 दिनांक 05.05.2022 के क्रम में। फलदार पौधों के मूल्यांकन कर कृषकों को मुआवजा राशि की गणना के संदर्भ में गठित कमेटी ने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिस पर सहायक निदेशक उद्यान–श्रीगंगानगर, विषय विशेषज्ञ– कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, सहायक प्राध्यापक, उद्यान–कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर, संयुक्त निदेशक उद्यान (सी. ओ.ई.)– उद्यान आयुक्ताल[illegible] निदेशक उद्यान–उद्यान आयुक्तालय, जयपुर के हस्[illegible] 02 में निम्नानुसार अंकित किया गया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला स्तरीय कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के गहनता से अध्ययन एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के पत्रांक 3504 दिनांक 30.05.2020 व किसानों के खेतों पर मौका निरीक्षण अनुसार कुछ कृषकों ने **किन्नों पौधों के मध्य खजूर के पौधे रोपित किये गये है जो तकनीकी एंव व्यवसायिक रूप से उपर्युक्त नहीं है** जिसके क्रम में सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर में उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को लिखे गये पत्रांक 5866 दिनांक 21.03.2022 द्वारा अवगत कराया गया। एक आवेदक ने स्कूल में सजावटी पौधों के रूप में खजूर के पौधे रोपित किये है, कुछ पौधे बहुत ही पास पास में दिवार के पास में लगाये गये है जिनमें शष्य क्रियाएं करके वाणिज्यक उत्पादन लिया जाना संभव नहीं है तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक रूप से भी उपयुक्त नहीं है।

अप्रार्थीगण जगतार सिंह वगै. की भूमि 5 वाई के मुरब्बा नं. 2 के किला नं. 1 से 4, 1, 7, 8, 10, 13 व 14 अवाप्त की गई है जिसमें उद्यान विभाग की रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 के अनुसार 19 खजूर के पौधे 5 वर्ष के एवं 12 किन्नू के 10 वर्ष के पौधे लगे हुए दर्शाये गये है जबकि उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार किन्नू के पौधों के मध्य खजूर के पौधे रोपित करना तकनीकी एवं व्यवसायिक रूप से उपयुक्त नही माना है।

चूंकि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार कोई मुआवजा राशि देय नहीं बनती है जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 02.07.2021 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर [illegible] पौधे खजूर के पौधे 5–6 वर्ष के बताये गये है। इसलिए सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर भी विचार करना आवश्यक है, उक्त प्रतिवेदन दिनांक 02.07.2021 में अंकित कुल 19 खजूर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के पौधों की आयु 5—6 वर्ष बताई गई है। उद्यान विभाग की उक्त रिपोर्ट के **अनुसार क्या धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.018 को उक्त बाग अस्तित्व में था या नहीं? अगर था तो दिनांक 02.04.2018 को बाजार मूल्य अनुसार कोई मुआवजा राशि अप्रार्थी को देय होती है अथवा नहीं?**

उद्यान विभाग का उक्त प्रतिवेदन दिनांक 02.07.2021 का है जिसके अनुसार दिनांक 02.07.2021 को 19 खजूर के पौधों की आयु 5—6 वर्ष बताई गई। उक्त पौधों पर मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध मे अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को क्या स्थिति बनती है?, इस तिथि 02.04.2018 पर विचार करने पर उक्त रिपोर्ट को तर्क के लिए एक बार सही मानते हुए विचार किया गया तो पाया कि कुल 19 खजूर के पौधे बताये गये है, जो दिनांक 02.07.2021 करे 5—6 वर्ष के बताये गये है और 5 वर्ष की आयु मानकर मुआवज राशि का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को उक्त कुल 19 खजूर के पौधे की आयु केवल 2वर्ष की बनती है **इस प्रकार सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर दिनांक 02.07.2021 की स्थिति के अनुसार जो मुआवजा राशि 1,99,79,317/— सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा तय की गई है, वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है और वह किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं है।**

उक्त पौधों का मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 19 खजूर के पौधों की आयु 2 वर्ष बनती है। **तीन वर्ष तक की अवधि के पौधों के लिए आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालतय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4162—4247 दिनांक 19.11.2020 के अनुसार मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र तक) — पौधों का आधार मुल्य X 3 देय होता है** जो 2 वर्ष के खजूर के एक पौधे का आधार मूल्य 1589/— रूपये है, इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि (1589X3=)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

4767/— रूपये बनती है। इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 19 पौधों की मुआवजा राशि (4767X3=) 90,573/— रूपये बनती है। इस प्रकार सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 1,99,79,3177/— बनाई गई है, जबकि उद्यान विभाग के प्रतिवेदन में पौधें एवं पौधों की आयु पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार करने पर दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार मुआवजा राशि 90,573/— रूपये बनती है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर बाग पर बाग अस्तित्व मे नहीं होने के कारण कोई मुआवज राशि नहीं बनती है। इस प्रकार मुआवजा राशि में 1,98,88,744/— अन्तर होने के कारण मान्य नहीं हो सकती।

जहां तक प्रतिवेदन दिनांक 02.07.2021 के अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा जो गिरदावरी सम्वत् 2073—76 की पेश की गई है। सम्वत् 2073—74 जिसमें मुरब्बा नम्बर 2 किला नं. 3,4,7 में बाग दर्शाया गया है जो वर्ष 2016—17 की है। सम्वत् 2074—75 के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 3,4,7,8 में बाग दर्शाया गया है, जो वर्ष 2017—18 की है और **सम्वत् 2075—76 में कोई बाग नहीं दर्शया गया है जो वर्ष 2018—19 की है।** सम्वत् 2075, दिनांक 18 मार्च 2018 से शुरू होता है और दिनांक 06 अप्रैल 2019 को खत्म होता है जबकि प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् 2075—76 दिनांक 16.09.2018 से [illegible] स्थिति को दर्शाती है। राजस्थान भू—अभिलेख अधिनियम 1957 [illegible] के अनुसार गिरदावरी हेतु किये जाने वाले दौरे का आरम्भ और [illegible] की दिनांक निम्न होगी :

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नाम (फसल)	दिनांक प्रारम्भ होने की	दिनांक पूरा होने की
खरीफ (सियालू)	16 सितम्बर	15 अक्टूबर
रबी (उल्हालू)	1 फरवरी	5 मार्च
जायद (विशेष उन्हालू)	1 मई	15 मई

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् 2075—76 की है, जिसकी स्थिति अनुसार 16 सितम्बर 2018 को बाग नहीं है और इसी गिरदावरी के अनुसार धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को बाग होना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए गिरदावरी के अनुसार भी अप्रार्थी का कोई मुआवजा भी देय नहीं बनता हैं। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की अधिसूचना 6. 10(6)राजस्व—6 /98/3 दिनाक 02.8.200 द्वारा सम्बन्धित पटवारी खरीफ गिरदावरी का निरीक्षण करते समय बोर्ड के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों को भी निरीक्षण करेगा। फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए माननीय मण्डल द्वारा निम्न प्रपत्र निर्धारित है, जिसमें फलदार वृक्षों का पूर्ण विवरण होता है:

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र—1

फलदार वृक्षों की गिरदावरी वर्ष .....

गांव का नाम ..... गिरदावर वृत .....

तहसील ..... जिला.....

क्रम संख्या	खसरा संख्या	फल का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
			कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6			9	10	11

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

(पटवारी द्वारा भरा जावे)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र 'अ'–1

विभिन्न फलों की प्राथमिक सूचना का ग्रामवार विवरण

पटवार मण्डल ..... भू.अ.नि.वृत ..... तहसील .....

जिला ..... वर्ष .....

क्र.सं.	गांव का नाम	फल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बगीचों की संख्या			वृक्षों की संख्या			बिखरें पेडों की संख्या			विशेष विवरण
				फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–3

फलदार वृक्षों की गिरदावरी की इकजाई सूचना तहसील .....

जिला श्रीगगानगर संवत ..... वर्ष 2022–23 (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	नाम चक	ग्रामों की संख्या			खसरा संख्या			क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
		जिसमें फलदार वृक्ष है	जिसमें फलदार वृक्ष नहीं है	योग	जिसमें फलदार वृक्ष है।	जिसमें फलदार वृक्ष नहीं है।	योग	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए छोटे व बड़ों के लिए पूर्ण विवरण सहित उक्त निर्धारित प्रपत्र 1, अ—1 एवं 2 मुरब्बा नं. 3 व किला नं 1 ता 10 में स्थिति क्या है?, अंकित सम्बन्धित गिरदावरीयां प्रस्तुत नहीं की गई जबकि उक्त गिरदावरी सम्वत् 2075—76 जो दिनांक 15.09.2018 की स्थिति की है। जिससे धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि में बताये गये बाग के सम्बन्ध में लगे पौधों की आयु, नाम, संख्या, किस्म आदि की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। जबकि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार ही अगर कोई बाग में पौधे रोपित है तो उनकी आयु आदि के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता हैं। **इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त गिरदावरी सम्वत् 2075—76 जो कि वर्ष 2018—19 की है, के आधार पर, किसी प्रकार से बाग के रूप में कोई मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नही ठहरता है** क्योंकि उक्त गिरदावरी में अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति है और अप्रार्थी द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार उक्त गिरदावरी में बाग नहीं है।

अतः उक्त विवेचन स्पष्ट है कि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी की भूमि में निरीक्षण दिनांक 02.07.2021 को बाग के रूप में पौधे रोपित किये गये है, की आयु 5 वर्ष बताकर मुआवजा निर्धारण किया गया है जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को कोई बाग था तो उस दिनांक 02.04.2018 को बाग में रोपित पौधों की संख्या, पौधों की आयु, किस्म के आधार पर ही मुआवजा राशि तय की जानी थी जबकि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगंगानगर ने निरीक्षण दिनांक 02.07.2021 को आधार मानकर सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति [illegible] खण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 1,99,79[illegible] में तय की गई है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह राशि [illegible]रा 3ए की अधिसूचना दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

02.04.2018 के आधार पर नहीं है। इस प्रकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को विधिक प्रावधानों के पूर्ण रूप से विपरीत जारी किया गया है, जो किसी भी प्रकार से बहाल करने योग्य नहीं है। अतः सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से तय मुआवाज राशि, अप्रार्थीगण जगतार सिंह वगै. की हद तक खारिज किया जाता है। **सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर कोई बाग था अथवा नहीं?, की जांच करें और यदि दिनांक 02.04.2018 को बाग अस्तित्व में था तो पौधों की संख्या, पौधों की आयु एवं दिनांक 02.04.2018 की ही बाजार मूल्य क्या था, के अनुसार पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई कर, 02 माह में अवार्ड जारी करे।** इस आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested